न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
11/2018/प्रा.पत्र/2018	05.02.2018	18.05.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .....आवेदक

बनाम

1–एफ.बी.ओ. श्री दिनेश कुमार साहू पुत्र श्री राधाकिशन साहू जाति तेली निवासी भण्डारी जी का मोहल्ला बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक मैसर्स साहू जनरल स्टोर बस स्टैण्डा तह. उनियारा जिला टोंक
2–मैसर्स साहू जनरल स्टोर बस स्टैण्डा तह. उनियारा जिला टोंक
3–श्री गोपाल लाल गुप्ता पुत्र श्री मदन लाल गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स जी ट्रेडर्स जैन कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज.
4– मैसर्स जी ट्रेडर्स जैन कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री रामलक्ष्मण साहू, अप्रार्थी सं. 3 व 4 अनु.।

:–निर्णय–: **दिनांक 18.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2017 को समय 01:30 पी.एम. पर मैसर्स साहू जनरल स्टोर बस स्टैण्ड तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री दिनेश कुमार साहू पुत्र श्री राधाकिशन साहू अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दिनेश कुमार साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान की रैक में 480 –480 ग्राम पैक के लगभग 40 पैकेट पैक्ड अवस्था में **नमकीन मिक्सर (राजस्थान रॉयल्स ब्राण्ड)** के रखे हुए थे, जिसे देखने पर मिलावट की शंका हाने पर विक्रेता श्री दिनेश कुमार साहू को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री दिनेश कुमार साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कि यह **नमकीन मिक्सर (राजस्थान रॉयल्स ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक 10 सितम्बर 2017 थी को ज्यों का त्यों वास्ते नमूना जांच क्रय किए जा रहे है, चार पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **नमकीन मिक्सर (राजस्थान रॉयल्स ब्राण्ड)** के 4 पैकेट प्रत्येक 480–480 ग्राम पैक को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1810 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिप्काकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1810 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री दिनेश कुमार साहू पुत्र श्री राधाकिशन साहू ने मौक पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया एवं दिनांक 26.10.2017 को आवेदक के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी फर्म का अनुज्ञा पत्र एवं बतौर वारन्टी मैसर्स जी ट्रेडर्स जैन कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स जी ट्रेडर्स जैन कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज एवं बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहे गये जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 17 / 4771 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 788 / एक्ट / 2017 / 788 दिनांक 23.11.2017 के अनुसार विक्रेता श्री दिनेश कुमार साहू से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **नमकीन मिक्सर (राजस्थान रॉयल्स ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वि मिथ्याछाप **(Mis-Branded)** स्तर का **नमकीन मिक्सर (राजस्थान रॉयल्स ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 31.05.2018 को एडवोकेट श्री रामलक्ष्मण साहू द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 दिनांक 06.01.2022 को सिर्फ एक बार उपस्थित हुए एवं इसके बाद अनुपस्थित रहे। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री रामलक्ष्मण साहू उपस्थित हुए एवं बहस की। बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने वारन्टी बिल के साथ उक्त खाद्य पदार्थ का क्रय अप्रार्थी सं. 3 व 4 से किया है अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को क्षमा किया जावें या कम से कम शास्ति आरोपित की जाए। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन मिक्सर (राजस्थान रॉयल्स ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्राथीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन मिक्सर (राजस्थान रॉयल्स ब्राण्ड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 20,000/–(अक्षरे बीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0